Ph. No:- 9412722318

F . S . AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL

Recognized by : Central Council of Indian Medicine & Ministry of Ayush Govt. of India

Affiliated to : Dr. B. R. Ambedkar University, AGRA

Near Balaji Mandir, Shikohabad, FIROZABAD U.P.

e-mail - fsamch123@gmail.com Mob. : 9720205727, 9675111147

Ref. 23/FSamch/2019

NEW COLLEGE CODE :- 1105
BAMS. Session 2017-18
60 Seat only

Date 12-06-2019

सेवा में,

कुल सचिव महोदय,

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

आगरा।

विषय: बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम कॉलेज लॉगिन आई0डी0 लेने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन करना है कि, एफ0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल शिकोहाबाद, फिरोजाबाद में बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम की सम्बन्द्धता विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2017–18 में प्रदान की गई है। कॉलेज में अध्ययनरत 57 छात्रों की परीक्षायें सम्पन्न होनी हैं परन्तु कॉलेज लॉगिन आई0डी0 अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। छात्रों के बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम के परीक्षा फार्म भरे जाने है।

अतः आपसे अनुरोध है कि, विश्वविद्यालय के परीक्षा फार्म भरने हेतु कॉलेज लॉगिन आई0डी0 व पासवर्ड अतिशीघ्र कॉलेज की ईमेल आई0डी0 (fsamch123@gmail.com) पर भेजने की कृपा करें।

भवदीय

Principal
प्राचार्य
F.S.Ayurvedic Medical College & Hospital
Shikohabad (Firozabad)

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याः 787/2018
दिनांकः 2/8/18

प्रबन्धक/सचिव,
एफ0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल,
शिकोहाबाद,
फिरोजाबाद।

विषयः- एफ0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद उ0प्र0 को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में 60 सीटों के साथ सत्र 2017-2018 (एक वर्ष) की सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या सम्बा0 1148/सत्तर-2-2014-16(258)/2013, दिनांक 01 अगस्त, 2014 एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 02.09.2014 के अनुपालन में आर्युवेदिक/यूनानी पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 14.07.2018 द्वारा स्नातक स्तर पर आर्युवेदिक संकाय के अन्तर्गत बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में 60 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शासन के पत्रांक संख्या-2369/71-आयुष-1-2014-130/2014 लखनऊ दिनांक 20 जून, 2014 के अनुपालन में निम्न शर्तो के अधीन शैक्षिक सत्र 2017-18 (एक वर्ष) की सम्बद्धता के लिये सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

1. संस्था, शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के साधन/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी0सी0आई0एम0 रेग्यूलेशन के अनुसार निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही कराई जायेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. शिक्षकों एवम् प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रक्रिया 6 माह में पूर्ण की जाय।

उपरोक्त व्यवस्था उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 से परिवर्तित कर दी गई है, यह व्यवस्था अधिनियम की धारा-5(4) विलोपित किये जाने के अन्तर्गत की गई है।

भवदीय,

कुलसचिव
2/8/18

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, सी0सी0आई0एम0, जनकपुरी, नई दिल्ली।
2. सचिव, आयुष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक आयुर्वेदिक सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, आयुर्वेदिक (पाठ्यक्रम एवम् मूल्यांकन), उ0प्र0 लखनऊ।
6. कुलसचिव, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
7. उपकुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय)।

कुलसचिव